Rajasthan Co-operative Press Ltd., Jaipur Ph. : 0141-2751417

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राज्य आपदा प्रबन्धन नीति

वर्ष २०१४

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

राजस्थान सरकार

राज्य आपदा प्रबन्धन नीति
वर्ष 2014

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

विषय सूची

पैरा संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	राजस्थानः एक परिचय	1
2	आपदाओं के प्रकार एंव राज्य में आपदाओं एंव जोखिम	1
2.1	आपदाओं के प्रकार	1
2.2	राज्य आपदाओं की स्थिति	2
3	नीति जारी करने का प्रयोजन एंव उद्देश्य	3
3.1	आपदा प्रबन्धनकी पारम्परिक व्यवस्था	3
3.2	नवीन व्यवस्था	3
3.3	दृष्टिकोण	4
3.4	आपदा प्रबन्धन के मूल तत्व	4
3.5	राज्य आपदा नीति के लक्ष्य	4
4	आपदा प्रबन्धन की कार्यविधि	6
4.1	प्रथम चरण–आपदा पूर्व तैयारी	6
4.1.1	आपदा निवारण एवं उपशमन	6
4.1.1(अ)	जोखिम मूलयांकन	6
4.1.1(ब)	तकनीकी–विधिक व्यवस्था	7
4.1.1(स)	विकास योजनाओं में आपदा प्रबन्धन को शामिल करना	8
4.2	आपदा पूर्व तैयारी	10
4.2.1	क्षमता संवर्धन	10
4.2.2	प्रशिक्षण	12
4.2.3	राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) का गठन	13
4.2.4	आपदा पूर्व चेतावनी का ढांचा विकसित करना	13
4.2.5	स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल	13
4.2.6	आधारभूत संचार तंत्र	14
4.2.7	आपदा प्रबंधन की लोचपूर्ण प्रक्रिया	15
4.2.8	शहरी क्षेत्र में आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति	15
4.2.9	महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा	16

4.2.10	आपदा का पूर्व अभ्यास (Mock Drill)	16
4.2.11	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	17
4.2.12	आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना	17
4.2.13	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी	18
4.2.14	अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग	18
4.2.15	मीडिया भागीदारी	18
4.3	द्वितीय चरण– आपदा के प्रभाव की अवस्था (राहत एवं पुनर्वास)	19
4.3.1	प्रभावी प्रशासनिक ढॉचा	19
4.3.2	आपदा संचालन केन्द्र (EOC)	20
4.3.3	सर्च एवं रेस्क्यू टीम	21
4.3.4	आवश्यक सेवाओं की बहाली	22
4.3.5	आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीडित व्यक्तियों को पहुॅचाने की परिवहन व्यवस्था	22
4.3.6	शान्ति बनाये रखना	23
4.3.7	क्रेन,बुलडोजर एवं आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण	23
4.3.8	अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना	23
4.3.9	राहत सामग्री की आपूर्ति	24
4.3.10	आपदा के बाद क्षति का प्रारंभिक आंकलन	24
4.3.11	आपदा पीडितों के लिये तात्कालिक राहत	25
4.4	तृतीय चरण– आपदा के बाद की पुनर्वास एंव आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था	25
4.4.1	विस्तृत हानि का आंकलन	26
4.4.2	प्रभावित लोंगों का पुनर्स्थापन	26
4.4.3	पुनर्निर्माण	27
4.4.4	धन का आवंटन एंव ऑडिट	27
4.4.5	आजीविका को पुनःबहाल करना	27
5	सस्थागत ढांचा	27
5.1	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA)	28
5.2	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)	28

5.3	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM)	28
5.4	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF)	28
5.5	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA)	30
5.6	राज्य कार्यकारी समिति (SEC)	30
5.7	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (DDMA)	30
5.8	राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF)	31
5.9	आपदा प्रबन्धन केन्द्र	31
5.10	नोंडल विभाग	31
6	वित्तीय प्रावधान	32
6.1	आपदा राहत निधि (SDRF)	32
6.2	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NDRF)	33
6.3	13 वें वित्त आयोग की सिफारिशें	33
6.4	राज्य आपदा मोचन निधि	33
6.5	राजस्थान राहत कोष	34
6.6	वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान	35
7	ज्ञान प्रबन्धन,अनुसंधान एंव विकास	35
7.1	आपदा प्रबन्धन में पारंपरिक ज्ञान	35
7.2	भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन)	36
7.3	भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क (आई डी के एन)	36
7.5	राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क (एस डी आर एन)	36
7.6	सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा अनुसंधान का प्रलेखन	36
8	विवाद समाधान प्रक्रिया	37
	परिशिष्ठ–1 : नोडल विभागो की सूची	38
	परिशिष्ठ–2 : भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाएं	39
	परिशिष्ठ–3 : राज्य आपदा मोचन निधी एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधी के संशोधित मानदण्ड	42
	परिशिष्ठ–4 : राजस्थान राहत कोष	51
	परिशिष्ठ–5 : तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशो का सारांश	58

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

राज्य आपदा प्रबन्धन नीति

1. राजस्थान : एक परिचय :–

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। जिसमें से दो तिहाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। राज्य के थार मरूस्थल के अन्तर्गत राज्य का 60 प्रतिशत क्षेत्र एवं 12 जिले आते हैं। जिसमे राज्य की 40 प्रतिशत जनता निवास करती है। कुल जनसंख्या का 29.73 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है। 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। 2007 की पशु जनगणना के अनुसार राज्य में 566.63 लाख पशु है जो देश की कुल पशु संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक है।राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है। राज्य की जलवायु अर्द्धशुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भूभाग का 10.4 प्रतिशत, कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत, कुल खेती योग्य भूमि का 10.6 प्रतिशत भाग उपलब्ध है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है।

2. आपदाओं के प्रकार एंव राज्य में आपदाऐं एवं जोखिम :–

2.1. आपदाओं के प्रकार :– आपदाओं को मुख्यतः प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक, दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्राकृतिक आपदाऐं :–

i सूखा ii बाढ़ iii भूकम्प

iv अग्नि (आकाशीय बिजली सहित v बादल का फटना

vi भूस्खलन vii ओलावृष्टि viii कीट प्रकोप

ix पाला एवं शीतलहर

गैर प्राकृतिक आपदाऐं :–

i रासायनिक ii औद्यौगिक iii परमाणु

iv उपद्रव/दंगे v जैविक vi सड़क/रेल/नाव/वायु दुर्घटना

vii आतंकवाद viii उत्सवों/मेलों/भीड में होने वाली भगदड

ix महामारी

2.2. राज्य में आपदाओं की स्थिति :–

राज्य का 60 प्रतिशत क्षेत्र मरूस्थलीय होनें के कारण राज्य की सबसे प्रमुख आपदा सूखा (अकाल) है। मानसून की विफलता एवं बारम्बार अकाल की पुनरावृत्ति राज्य की स्थिति को ज्यादा गम्भीर बना देती है। लगभग हर वर्ष राज्य इससे प्रभावित रहता है। विशेषकर राज्य के पश्चिमी जिले इससे अधिक प्रभावित रहते हैं।

राजस्थान राज्य के अनेक हिस्से भूकम्प क्षेत्र II,III एवं IV के अन्तर्गत आते हैं। जालोर, सिरोही, बाडमेर और अलवर जिलों के कुछ भाग क्षेत्र IV में पडते हैं जबकि बीकानेर,जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, डूँगरपुर, बांसवाडा, अलवर जिलों के बहुत से भाग क्षेत्र III में पड़ते हैं।

राज्य में समस्त नदी थालों (बेसिन्स) की संख्या 15 है।इन नदी थालों से संबंधित जिलों (अजमेर, अलवर, भरतपुर, बारां, बून्दी, बाडमेर, चित्तौडगढ़, जालौर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, पाली, सिरोही, नागौर, उदयपुर, हनुमानगढ़) में बाढ़ की संभावना विद्यमान रहती है।

राज्य के आबादी क्षेत्रों में अग्नि की प्रबल संभावना विद्यमान रहती है।राज्य में ओलावृष्टि,शीतलहर– पाला, टिड्डी दल आक्रमण, चक्रवाती हवाऐं, बादल का फटना जैसी आपदाऐं भी कुछ जिलों को प्रायः प्रभावित करती रहती है।

आँधी और तेज हवाएँ विशेषकर रेगिस्तानी जिलों में बहुतायत से आती है, परन्तु ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने की सम्भावना राज्य में कहीं भी हो सकती है। कई बार तो ओलावृष्टि तथा पाले से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन एवं चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। राज्य में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण रासायनिक, औद्योगिक, परमाणु संबंधी आपदाओं की संभावना भी बढ़ती जा रही है।

3 नीति जारी करने का प्रयोजन एंव उद्देश्य :–

3.1 आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था :–

पूर्व में राज्य का आपदाओं के प्रति दृष्टिकोण 'आपदा पश्चात राहत गतिविधियों का संचालन एंव प्रभावितों को तात्कालित सहायता प्रदान करने' तक ही सीमित रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त की जाती रही है। पारम्परिक रुप से दी जा रही राहत केवल अस्थायी व्यवस्था है जो आपदा से प्रभावित लोगों को तात्कालिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तथा आपदा खत्म होते ही समस्त कार्य बन्द कर दिये जाते हैं। इस राहत केंद्रित व्यवस्था में आपदा पूर्व तैयारी एवं उसके कष्टप्रद प्रभाव को भविष्य में कम करने के लिए योजना एवं नीति नहीं थी।

3.2 नवीन व्यवस्था :–

राज्य में वर्तमान में प्रचलित राज्य आपदा प्रबन्धन नीति, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व तैयार/जारी की गई थी। इस अवधि में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के नेतृत्व में आपदा प्रबन्धन के राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव आया है। इसे नीति में समाविष्ट करने हेतु एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन नीति, 2009 की मूल भावना के अनुरूप राज्य नीति में आपदा पूर्व तैयारी,आपदा संभावित नुकसान को कम करने के लिये उपाय तथा आपदा उपरान्त सहायता,

पुनर्वास एवं आधारभूत संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान जैसे बिन्दुओं का समावेश किया जाना है। अतः राज्य की नई आपदा प्रबन्धन नीति जारी की जा रही है। इस आपदा प्रबंधन नीति को समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा।

3.3 दृष्टिकोण :–

पारंपरिक राहत केन्द्रित दृष्टिकोण में परिवर्तन करके इसमें सक्रिय निवारण, तैयारी और उपशमन को शामिल कर सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन करते हुए विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में निवारण और उपशमन उपायों के माध्यम से, आपदा रहित राजस्थान का निर्माण करना।

3.4 आपदा प्रबंधन के मूल तत्व :–

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानव जन्य कारणों से आने वाली ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है, जिससे निपटना प्रभावित समुदाय एवं स्थानीय संसाधनों की क्षमता से परे हो।

आपदा प्रबंधन के निम्नांकित मूल आधार हैः–

(1) आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम।
(2) आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन अथवा न्यूनीकरण।
(3) अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण।
(4) आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी।
(5) आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आंकलन।
(6) आपदा में फंसे लोगो का बचाव और राहत।
(7) पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

3.5 राज्य आपदा नीति के लक्ष्य :–

(1) ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से सभी स्तरों पर निवारण, तैयारी और प्रतिरोध की संस्कृति को बढावा देना।

(2) राज्य में आपदाओं को घटित होने से रोकने तथा आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करना, ताकि विकास सम्बन्धी लाभ बने रहें तथा जीवन, आजीविका तथा सम्पत्ति का नुकसान कम से कम हो।

(3) आपदा प्रबंधन योजना अनुसार संवेदनशील क्षेत्र में नागरिकों, संस्थाओं, कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन करना।

(4) आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये, संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा विकास कार्यों के माध्यम से आधारभूत संरचनाऐं एवं संसाधन विकसित करना।

(5) विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं एवं उनके प्रावधानो में आपदा प्रबंधन की नियमित युक्ति सुनिश्चित करना।

(6) विभिन्न आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में आपदा सम्भावित क्षेत्र में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करना।

(7) आपदा से प्रभावितों को निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता प्रदान करना।

(8) आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास सुनिश्चित करना ।

(9) आपदा के समय विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित करना।

(10) राज्य में आपदा से संबंधित विभिन्न विभागों, जिलों व राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना व उन्हें अद्यतन करवाते रहना।

(11) आधुनिक तकनीकि के आधार पर तात्कालिक और पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।

(12) समाज के संवेदनशील वर्गों की आवश्यकता के प्रति विशेष ध्यान देते हुए विकास की योजनाऐं बनाना।

(13) आपदा के खतरों के निर्धारण, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र गठित करना।

(14) आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ उपयोगी और सक्रिय भागीदारी को बढावा देना।

4 आपदा प्रबंधन की कार्यविधि :–

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के रोकथाम,नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अलग–अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन के नवीन दृष्टिकोण के तहत आपदा प्रबंधन को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः–

4.1 प्रथम चरण – आपदा पूर्व तैयारी :–

मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि आपदाओं को पूर्णतः रोक सके। परन्तु विकास योजनाओं की सही रूपरेखा एंव क्रियान्वयन, प्रभावी उपशमन उपायों, लोगों की क्षमता संवर्धन करके, उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम अवश्य किया जा सकता है।

4.1.1 आपदा निवारण (prevention) एवं उपशमन (Mitigation) :–

आपदा सम्भावित क्षेत्र में विकास कार्यो की सही आयोजना ,उपशमन योजनाओं के कियान्वयन से सम्भावित खतरों को आपदाओं में बदलने से रोका जा सकता है एवं उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

इस चरण में मुख्य कार्य बिन्दु निम्न होगें :–

4.1.1 (अ) जोखिम मूल्यांकन :–

आपदा की पूर्व तैयारी एवं रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के विभिन्न आपदा संवेदनशील क्षेत्रों एवं उनमें जोखिमो की पहचान हेतु सर्वेक्षण किया जाए। जोखिमों की पहचान के पश्चात उचित माध्यम जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) का उपयोग करके बहु–जोखिम क्षेत्रों का वर्गीकरण, मानचित्रण तथा संवेदनशीलता का विश्लेषण किया जाए। जिसके आधार पर आपदा को रोकने एवं उसके प्रभावों को कम करने के प्रयास

किये जाए। जोखिम मूल्यांकन के लिए पूर्व में घटित आपदाओं का रिकार्ड भी रखा जाए।

4.1.1 (ब) तकनीकी – विधिक व्यवस्थाः–

आपदा की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में यथा सम्भव किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रभावी नीतियां, दिशा निर्देश (Guidelins), कानून एवं नियम बनाऐं जाए तथा उनकी सरकारी विभागो, संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो।जैसे कि –

1. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में नये भवनों के निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से करने के लिए आवश्यक नियम एवं दिशा निर्देश जारी करना, साथ ही निर्मित भवनों को भूकम्परोधी तकनीकी से सशक्त करने (रेट्रोफिटिंग) के लिए आवश्यक नियम एवं दिशा निर्देश जारी करना एवं इनका कियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. बढते शहरीकरण एवं आपदा प्रबन्धन के नवीन दृष्टिकोण को देखते हुए नगर विनियमों, भवन उप नियमों को आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करने की आवश्यकता है।
3. भूकम्प, बाढ तथा अन्य आपदाओं से संबंधित सुरक्षा खामियों की पहचान कर इन विनियमों/उप नियमों की समीक्षा की जाएगी एवं इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो की संशोधित भवन संहिताओं के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।
4. सभी मास्टर प्लानों तथा इनके अनुपालन की, प्राथमिकता के आधार पर, समीक्षा की जाएगी। भावी भूमि उपयोग का मूल्यांकन, विकास की प्रत्याशित तीव्रता एवं उसकी sustainlity को ध्यान में रखकर, किया जाएगा।
5. अभियंताओं, वास्तुकारों, छोटे भवन निर्माताओं, कारीगरों को आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे सुरक्षित भवन निर्माण सुनिश्चित किया जा सकें।

6. बड़े शहरों में बहुमंजिले भवनों में आग से बचाव सम्बन्धी आई.एस. कोड/ एन.बी. कोड के प्रावधानों को भवन निर्माण कानून में जोड़ने बाबत नियमों में संशोधन।

7. फसल चक्र के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान, दिशा निर्देश जारी किए जावेंगे।

8. महामारी की स्थिति में, नियन्त्रण हेतु कार्ययोजना, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं विभागों की पूर्ण जिम्मेदारी तय करना।

9. बाढ़, आंधी, तूफान आदि समस्त आपदाओं की स्थिति में तात्कालिक राहत एवं अनुक्रिया (response) के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी करना।

10. आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करना।

11 राज्य में जल के दुरूपयोग को रोकने संबंधी प्रावधान करने एवं उपयोगित जल के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उपलब्ध पानी का अनुकूलतम उपयोग तथा वर्षा का पानी संग्रहण तथा कृत्रिम पुनर्भरण एवं कम पानी के उपयोग पर आधारित फसल चक्र को लागू किया जाएगा।

12. आपदा के दौरान संचालित होने वाली राहत गतिविधियों में भी आपदा प्रशमन संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

13. पारिस्थितिक संतुलन और स्थायी विकास को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

14. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिकाएं जारी करना।

15. सभी विभागों के पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों, विभागीय मैन्युअलों एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

16. सभी विभाग विभिन्न आपदाओं से संबंधित मैन्युअलों एवं दिशा निर्देशों में वर्णित आपदा के प्रभाव को कम करने संबंधी आपदा प्रशमन कार्यो को प्राथमिकता से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4.1.1(स) विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को शामिल करना :–

विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव एवं खतरों को कम करने के सभी महत्त्वपूर्ण पहलूओं को सतत् विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे।

राज्य के समस्त विभाग अपनी विकास योजनाऐं एवं कार्यक्रम, आपदा जोखिम एवं आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाऐं एवं इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित करें। राज्य एवं केन्द्र से पोषित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में यदि आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक गतिविधियों हेतु संसाधन उपलब्ध न हो, तो विभाग अपना पक्ष रखते हुए सक्षम स्तर से व्यवस्था करावे। सभी संबंधित विभागों की वार्षिक योजना में आपदा के प्रभाव को कम करने की कार्यवाहियों का समावेश किया जावेगा और वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा इनका समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन्हें पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। आपदाओं की रोकथाम की पूर्व तैयारियों एवं प्रबंधन की अन्तर्विभागीय योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान एवं प्राथमिकता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा। राज्य में स्थित विभिन्न केन्द्रीय विभाग भी अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को शामिल करेंगे।

4.2. आपदा पूर्व तैयारी (**Preparedness**) :–

राज्य में आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने एवं उसे रोकने के लिए व्यवस्थित रूप से तैयारी की जाने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न कार्यवाही की जानी है:–

4.2.1 क्षमता संवर्धन :–

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य का मानव संसाधन आपदा प्रबंधन के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित हो एवं आवश्यक संसाधनों से युक्त हो। किसी भी आपदा के प्रभावी प्रबन्धन में राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं एवं जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

1. आपदाओं से सम्बन्धित खतरों के बारे में जनता को समय रहते पूर्ण जानकारी देना ।
2. आपदाओं से निपटने हेतु उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान कराना ।
3. आपदा से निपटने के लिये तत्सम्बन्धी विशेष ज्ञान के समूहों की स्थापना तथा उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना। आवश्यकतानुसार अनुसंधान की सुविधा देना।
4. आपदाओं से संबंधित नोडल विभाग, उनसे संबंधित आपदाओं के उचित प्रबंधन हेतु, विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं उनकी क्षमता संवर्धन किया जाना सुनिश्चित करेगा।
5. आपदाओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिये उपायों को, सभी स्तर की स्कूलों/कालेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करना।
6. विभिन्न आपदाओं के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार सुरक्षित भवन संरचनाओं तथा पूर्व निर्मित भवनों के रेट्रोफिटिंग सम्बन्धी ज्ञान सभी

लोगों को सुलभ कराना तथा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में इसे शामिल करना।

7. विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों की स्थापना कर क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण देना।

8. प्रत्येक नोडल विभाग द्वारा आपदा के समय काम आने वाले खोज एवं बचाव उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं उसकी सूची online अद्यतन रखना।

9. निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के पास उपलब्ध खोज एवं बचाव उपकरण प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा प्रतिवर्ष इनकी दरें निर्धारित करना, जिससे आवश्यकता होने पर तत्काल इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

10 प्रत्येक राजकीय एवं सार्वजनिक संस्थानों में आग से बचाव हेतु आवश्यक उपकरण लगाए जाऐं एवं उन्हें संचालन हेतु कार्मिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही फायर फाइटिंग व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण सक्षम संस्था द्वारा किया जाए।

11. सभी सार्वजनिक भवनों की जैसे सिनेमा घर, अस्पताल, स्कूलों आदि की फायर फाइटिंग व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण सक्षम संस्था द्वारा किया जाए।

12. विभिन्न आपदाओं के समय उपयुक्त प्राथमिक उपचार (First Aid) व्यवस्था के बारे में, (आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों को) ज्ञान उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गांव एवं मोहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।

13. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन के तहत आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों में सर्तकता समितियॉ और स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण एवं उनकी क्षमता संवर्धन करना।

14. विभिन्न आपदाओं के जोखिमों एवं उनके बचाव से संबंधित प्रचार सामग्री का मुद्रण करवाया जाना एवं उनके माध्यम से जनता में जागरुकता उत्पन्न करना।

4.2.2 प्रशिक्षण :–

राज्य में आपदा प्रबंधन के उचित प्रशिक्षण से सभी हितधारकों की क्षमता संवर्धन की जा सकती है।राज्य मे अधिकारियों/कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण हेतु 'एच.सी.एम.रीपा' में आपदा प्रबंधन केन्द्र कार्यरत है।इस केन्द्र को आवश्यक संसाधनों से सशक्त किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर राज्य में अतिरिक्त आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए जाऐंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों को भी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु सशक्त किया जाएगा। सभी विभाग, आपदा प्रबंधन की क्षमता निर्माण हेतु कार्य योजना बना कर विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस कार्य योजना में आपदा पूर्व तैयारी, प्रशमन तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं आधारभूत संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान जैसे बिन्दुओं का समावेश किया जाएगा।

1) आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुड़े व्यक्तियों को बचाव व राहत कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा, जिससे वे स्वतः सतर्क होकर कार्य में जुट सकें।

2) राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इंटर एजेन्सी ग्रुप के माध्यम से प्रशिक्षण, जनजागरूकता, क्षमता संवर्धन, सूचना सम्प्रेषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी। इस ग्रुप में संयुक्त राष्ट्र संस्थाऐं, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं एवं प्रसार संस्थाऐं सम्मिलित होंगी।

3) प्रत्येक जिले में आपदाओं के समय अनुक्रिया (response) के लिए एक दल Incident response team गठित किया जाएगा, जिसे आपदाओं से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4) उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।

5) प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के दल बनायेगा, जो तत्सम्बन्धी आपदाओं में बचाव व राहत कार्य

में समय समय पर प्रशिक्षित किये जावेंगे। सभी विभाग इन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु तथा आपदा के समय प्रबंधन हेतु तुरन्त भेजने के लिए बाध्य होंगे। सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा प्रबन्धन केन्द्र समय–समय पर प्रशिक्षित करेगा।

6) विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन को शामिल किया जाएगा।

7) नागरिक सुरक्षा, होमगार्डस, एन.सी.सी., एन.वाइ.के., स्काउटस, एन.एस.एस. आदि को आपदा प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर सशक्त किया जाएगा।

4.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) का गठन :–

राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु एक राज्य आपदा प्रबन्धन बल गठित किया जा चुका है। इसे आपदा प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जावेगा एवं आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

4.2.4 आपदा पूर्व चेतावनी का ढ़ांचा विकसित करना :–

आपदा पूर्व चेतावनी यदि उचित समय पर दी जा सके तो आपदा के प्रभाव एवं खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। सभी प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्वानुमान तथा शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किए जाने, उन्नयन किए जाने तथा आधुनिक बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अग्रिम चेतावनियों एवं सूचना के प्रसार के लिए प्रसारण माध्यमों जैसे–दूरदर्शन एवं रेडियो का उपयोग प्रमुखता से किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए मौसम विभाग के नेटवर्क का भी उपयोग किया जावेगा।

4.2.5 स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल :–

किसी भी आपदा में प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत पहुँचाने में मेडिकल केयर का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की क्षमता

इस स्तर की होनी चाहिए, जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हों। राज्य एवं जिला स्तरीय अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटरों का सुसज्जित एवं पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत व्यवस्था होना एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेन्सों एवं मोबाइल टीमों की उपलब्धता होना आवश्यक है। किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ को आवश्यकतानुसार तुरन्त भेजा जा सके, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों में mass casuality की स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना होनी चाहिए। आपदाओं के दौरान निजी अस्पतालों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के उपचार हेतु उनका पूर्ण सहयोग लिया जाना चाहिए।

4.2.6 आधारभूत संचार तंत्र :–

एक इस प्रकार का संचार नेटवर्क विकसित किया जायेगा जो आपदा सुरक्षित होगा एवं सूचना को तुरन्त जिले से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर तक भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में स्थापित आपातकालीन संचालन केन्द्रों (EOC's) का आधुनिकीकरण किया जाएगा। राज्य में उपलब्ध संसाधनों हेतु इण्डिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (IDRN) की तरह स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (SDRN) तैयार किया जायेगा,जिसमें विभिन्न तरह की आपदाओं में राहत व बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासकीय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री व मानव संसाधन की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी रखी जा सके एवं उन्हें अद्यतन रखा जा सके। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के माध्यम से भी आपदा प्रबंधन हेतु सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता, मय दूरभाष नम्बरों के, भी उपलब्ध

रहे ताकि आवश्यकता होने पर उनका तत्काल उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने जिले के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हें पाबन्द करेंगे कि वे आवश्यक सूचना जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये तथा उसे नियमित अद्यतन कराऐं।

इसके अतिरिक्त जो उपकरण एवं सामग्री जिलों एवं राज्य में उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में यह जानकारी रखी जाए कि वे किस जिले या राज्य में उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यकता होने पर उन्हें वहां से अविलम्ब मंगाया जा सके। आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र स्थापित किया जाए जो आपदा से बाधित न हो।

4.2.7 आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रक्रियाः–

कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुनर्वास तथा विभिन्न प्रकार के संसाधनो की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिये जिला प्रशासन को आपदा एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2.8 शहरी क्षेत्र में आपदाओं की बढती प्रवृति :–

राज्य में विभिन्न कारणों से शहरीकरण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में आपदाएं कई तरीकों से भिन्न होती है और नुकसान की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों में खोज और बचाव संबंधी प्रयासों के लिए भी विशिष्टीकृत प्रशिक्षण अपेक्षित है। अनियोजित शहरीकरण को रोकने

तथा सभी प्रकार की आपदाओं के प्रति सुरक्षित मानव आवास सुनिश्चित करने वाली कार्ययोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी विकास से संबंधित विभाग शहरी निकास प्रणालियों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता देंगे, जिसमें प्राकृतिक निकास प्रणाली के अबाधित रुप से बहने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बढ़ते शहरीकरण के पर्यावरण पर पडने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने हेतु सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंध योजना भी बनाई जाएगी।

4.2.9 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा :–

यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि बांध, पुलों, सडकों ,रेल की लाइनों, बिजली घरों, जल भण्डारण टावरों, सिंचाई नहरों, नदी, पत्तनों तथा अन्य नागरिक जनोपयोगी सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को विश्वव्यापी सुरक्षा मानकों के अनुरुप निरन्तर निगरानी रखी जाए एवं जहां कमी है, उसे सुदृढ़ किया जाए। इन संरचनाओं के भवन निर्माण संबंधी मानकों को सुरक्षा मानदण्डों में शामिल किया जाए। संबंधित विभाग इसे सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर अपेक्षित कार्यवाही एवं उपाय करेंगे।

4.2.10 आपदा का पूर्व अभ्यास (**mock drill**):–

योजनाओं तथा मानक प्रचालनीय कार्य प्रणालियों (SOP) की प्रभावशीलता का परीक्षण कराया जाना चाहिए तथा इन्हें प्रशिक्षण एवं आपदा के पूर्व अभ्यासों के माध्यम से परिशोधित किया जाना चाहिए। राज्य में विभिन्न नोडल विभागों द्वारा निरन्तर आपदा आधारित पूर्व अभ्यास किए जाऐंगे। राज्य तथा जिला प्राधिकारियों को पूर्व तैयारी तथा त्वरित कार्यवाही की संस्कृति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.2.11 समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन :–

किसी भी आपदा के दौरान समुदाय न केवल सबसे पहले प्रभावित होते हैं,अपितु प्रारंभिक अनुक्रिया (response) भी वहीं से होती है।सामुदायिक भागीदारी स्थानीय स्वामित्व को सुनिश्चित करती है, स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजती है तथा नुकसान को रोकने तथा न्यूनतम करने में स्वयं सेवा प्रवृति एवं आपसी मदद की भावना को विकसित करती है। समुदाय पर आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी। महिलाओं तथा युवकों को आपदाओं के प्रबंधन हेतु निर्णयकारी समितियों और कार्यवाही समूहों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपदा के प्रति तैयारी के लिए समुदाय में विभिन्न समूह बना कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।लोगों मे आपदा के प्रति जागरुकता उत्पन्न की जाएगी।

4.2.12 आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना :–

आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर,जिला स्तर,विभाग स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाऐं तैयार की जाऐंगी तथा समय–समय पर उन्हें अद्यतन किया जाएगा। राज्य योजनाऐं/विभागीय योजनाएं आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनायी जायेंगी। आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन हेतु जारी राष्ट्रीय नीति एवं राज्य नीति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को मुख्य आधार रखते हुए तैयार की जाऐंगी।

प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी सम्बन्धित विभाग, ग्राम स्तर तक की आपदा प्रबंधन योजनाएं बनायेंगे तथा ग्राम स्तर तक डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर बेबसाईट पर उपलब्ध करायेंगे तथा यह सूचना निरन्तर अद्यतन भी की जायेगी ।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं में यह पाया गया है कि महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्ग के लोग,असहाय व्यक्ति आदि आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अतः जिला आपदा प्रबन्धन योजना में इन वर्गो पर होने वाले प्रभावों/क्षतियों को कम करने के उपायों एवं बचाव की कार्यवाहियों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करने के विशिष्ट उपायों का समावेश किया जायेगा।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं का पशुओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन व पर्यावरण के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। जिला कार्ययोजना में सभी प्रकार की आपदाओं में पशुओं को राहत प्रदान करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट उपायों का भी समावेश किया जायेगा।

4.2.13 निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP):–

आपदा के समय निगमित एवं सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा सहयोग करते रहे हैं। राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन गतिविधियों में निगमित क्षेत्र एवं सार्वजनिक नीजि भागीदारी(PPP) को बढ़ावा दिया जाएगा।

4.2.14 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोगः–

राज्य द्वारा भारत सरकार की नीतियों के अधीन आपदा प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आवश्यक सहयोग लिया जाएगा।

4.2.14 मीडिया भागीदारी :–

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना और जानकारी के प्रचार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके लिए इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। लोगो में आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ शीघ्र चेतावनी के

लिए भी मीडिया उपयोगी साधन है। अतः आपदा पूर्व एवं आपदा के समय इसका सक्रिय उपयोग किया जावे।

4.3 द्वितीय चरण–आपदा के प्रभाव की अवस्था (राहत एवं पुनर्वास) :–

आपदा से निपटने की कार्यवाही, इसकी पूर्व तैयारी,सर्तकता व इच्छा–शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गयी तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी एवं कुशलता से की जायेगी, उतनी ही अधिक जन एवं धन सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी।

इस चरण में मुख्य कार्य बिन्दु निम्न होंगेः–

4.3.1 प्रभावी प्रशासनिक ढांचा :–

आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति (deployment), उचित सूचना का सामयिक प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसके लिए आवश्यक है कि एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा, यथा Incident response system हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विकसित किया जाए। प्रत्येक स्तर पर एक उत्तरदायी अधिकारी (Responsible Officer) होगा, जो आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखेगा। सभी विभागों के अधिकारी उसके निर्देशन में कार्य करेंगे। राज्य के मुखिया की दृष्टि से राज्य स्तर पर मुख्य सचिव उत्तरदायी अधिकारी (Responsible Officer) होंगे।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सभी प्रकार की आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु उत्तरदायी अधिकारी (RO) होगा। आपदाओं का प्रभाव एक से अधिक जिलों में संभावित होने की स्थिति में संभाग स्तर पर आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए संभागीय आयुक्त उत्तरदायी अधिकारी (RO) का कार्य करेंगे। जिले में कार्यरत राज्य/केन्द्रीय शासन के विभागों के सभी

अधिकारी जैसे पुलिस, होमगार्ड, रक्षा बल, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रभारी अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करेंगे। जिला स्तरीय अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थायें जो आपदाओं से संबंधित कार्यो में मददगार हो सकती हैं, उनके आपस के एवं शासकीय विभागों के बीच समन्वय भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे। इस कार्यवाही में स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं का भी उपयोग किया जाएगा। आपदा के दौरान जिला कलेक्टर विभिन्न कार्यो के सम्पादन के लिए अपने पास उपलब्ध मानव संसाधन में से योग्यता के आधार पर अलग–अलग अनुभाग बनाएगा जैसे आपरेशन अनुभाग,योजना अनुभाग, रसद अनुभाग आदि। इन सभी अनुभागों के कार्य स्पष्ट विभाजित होने चाहिए। आपदा की स्थिति में समन्वय का अभाव न हो, इसके लिए प्रत्येक विभाग एवं सभी कार्मिकों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।

राज्य, जिला, उपखण्ड एवं तहसील स्तर पर आपदा से निपटने के लिए एक दल (Incident response team) का गठन किया जाएगा, जो प्रत्येक आपदा की स्थिति में खोज, बचाव एवं राहत कार्य करेगा।

4.3.2 आपदा संचालन केन्द्र (EOC):–

आपदा के तुरन्त बाद जिला स्तर पर स्थापित आपदा संचालन केन्द्र (DEOC) स्थापित किया जायेगा, जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ई–मेल सुविधा एवं अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी आपदा से संबंधित नोडल विभाग का जिला स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह केन्द्र जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु

रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जावेगी तथा नियंत्रण व रोकथाम की कार्यवाहियों के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे। यहां से सूचना माध्यमों द्वारा आम जनता के लिए आवश्यक सूचनाएं सामान्य रूप से जारी की जायेंगी तथा जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जायेगी।

आपदा की स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेंगे, जहाँ से बचाव कार्य एवं राहत कार्यो का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यो से संबद्ध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे, जिससे वे विभागीय कार्यवाही का समन्वय कर सकें।

नियंत्रण कक्ष में आपदा स्थल से संबंधित एक नक्शा उपलब्ध होना चाहिए जिसमें आपदा स्थल के पास स्थित गांव, जनसंख्या, पशुधन, बी पी एल एवं कमजोर वर्गो की जनसंख्या आदि सभी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन से जुडे हुए सभी अधिकारियों/ कार्मिको के साथ साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की सूची मय दूरभाष के उपलब्ध रहनी चाहिए।

जैसे ही किसी आपदा के घटित होने की अथवा हानि की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को, सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से, बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा।

4.3.3 सर्च एवं रेस्क्यू टीम :–

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितनी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचेगी, उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फँसे हुऐ लोगों को त्वरित गति से बाहर निकालना, उन्हें चिकित्सकीय उपचार के लिए

अस्पताल भेजा जाना तथा, उन्हें राहत शिविरों/सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर सम्भव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों को आवश्यकतानुसार जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी। इन टीमों को आवश्यक मानव संसाधन एवं तकनिकी उपकरण उपलब्ध कराए जाऐंगे। आवश्यकता होने पर राज्य आपदा प्रबंधन बल अथवा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल से सहायता प्राप्त की जाऐगी। संभावित आपदा के खतरे से लोगों को बचाने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों को खाली करा कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाया जावेगा।

4.3.4 आवश्यक सेवाओं की बहाली :–

आपदा की स्थिति में बिजली, पानी, संचार के साधन, सड़क, पुल आदि अनेक बार क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती हैं। अतः राहत की अबाधित व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी सार्वजनिक ढांचागत निर्माण की तात्कालिक बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी, जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत पहुंचाने में कोई व्यवधान उस समय नहीं हो। सभी विभागों, स्थानीय सस्ंथाओं एवं जनता का पूर्ण सहयोग जिला प्रशासन द्वारा इस प्रयास में प्राप्त किया जावेगा।

43.5 आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था :–

आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग की देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से उपलब्ध कराई जायेगी। जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार निजी/सरकारी वाहनों की सेवाऐं (प्रदत्त शक्तियों के तहत) प्राप्त करेगा। जहॉ आवश्यक होगा, किराए का भुगतान करेगा।

4.3.6 शान्ति व्यवस्था बनाए रखना :–

आपदा के पश्चात क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए,साथ ही प्रभावित लोगों एवं राहत कर्मियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।

4.3.7 क्रेन, बुलडोजर एवं आवश्यकता अनुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण :–

कई बार भूकम्प आने, मकानों के ढ़हने एवं कुओं के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग मलबे में दब जाते हैं, उन्हें तुरन्त निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कलेक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होंगे। फंसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा, उसे, अन्य प्रावधान न होने पर, राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे संसाधनों को प्राप्त करने हेतु उनकी पहचान एवं दर निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से किया जावेगा।

4.3.8 अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना : –

बाढ़, भूकम्प एवं अग्निकाण्ड जैसी आपदाओं के समय, खाद्य आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। लोगों के मकान ध्वस्त हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से सम्भावित राहत शिविर स्थलों की पहचान की जानी चाहिए। जहां तक संभव हो आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीप ही राहत शिविर स्थापित कराने का प्रयत्न किया जाए, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो। इसके साथ ही आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेन्सियों की भी अग्रिम रूप से पहचान की जाए। इन

शिविरों में खाने–पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की जाए। अस्थाई शिविरों में पीने और नहाने के पानी,स्वच्छता तथा आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान किया जाए। शिविरों में खाने–पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की जो व्यवस्था की जाए, उनमें केन्द्र/राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का ध्यान रखा जाए। अस्थाई शिविरों में पशुधन हेतु पृथक से व्यवस्था रखी जाए।

आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में यथासंभव सहायता दी जायेगी। आपदा से मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों जिनकी सम्पत्ति एवं निकटस्थ संबंधियों की जीवन हानि हुई है, को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा/परामर्श सुविधा प्रदान की जायेगी। आपदा के पश्चात मनुष्य एवं पशुओं के शवों के सम्मानजनक निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

4.3.9 राहत सामग्री की आपूर्ति :–

राहत शिविरों में वितरित किए जाने वाली राहत सामग्री का उचित रखरखाव एवं वितरण हेतु प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है। राहत सामग्री वितरण के समय उसकी पैकेजिंग, परिवहन, भण्डारण एवं वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जुड़े लोगो के कार्य स्पष्ट रुप से विभाजित होने चाहिए। नकद एवं अन्य रुप से प्राप्त की गई दान सहायताओं में पारदर्शिता हेतु एक व्यवस्था विकसित की जाए।

4.3.10 आपदा के बाद क्षति का प्रारंभिक आंकलन :–

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के माध्यम से, आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुऐ नुकसान का तुरन्त सर्वे करवायेगा, जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाई जा सके।

जन–धन की हानि के आंकलन के लिए जिला कलेक्टर एक सुनियोजित व्यवस्था रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विलम्ब न हो।

जिला प्रशासन द्वारा संभागीय आयुक्त / शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को राहत व बचाव कार्य की प्रगति, आकलित जन–धन की हानि तथा बचाव एवं राहत कार्यों में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरंतर दी जावेगी।

4.3.11 आपदा पीड़ितों के लिये तात्कालिक राहत :–

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के दृष्टिगत उन्हें नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में, सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा, तात्कालिक मदद प्रदान की जाती है। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिये। जन–धन की हानि के आकलन के पश्चात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा आपदा पीड़ितों के लिये निर्धारित मापदण्डानुसार सहायता राशि दी जायेगी। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिये। उसमें जाति, धर्म, समुदाय, लिंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। ज्यादा प्रभावित एवं कमजोर वर्गो का विशेष ध्यान रखा जावेगा।राहत गतिविधियों के संचालन में पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.4 तृतीय चरण–आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था :–

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास यथाशीघ्र किये जायेंगे। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं

को पुनर्स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तृतीय चरण के मुख्य कार्य बिन्दु :–

4.4.1 विस्तृत हानि का आंकलन :–

आपदा के समय हानि के प्रारम्भिक के आंकलन के बाद समस्त विभागों द्वारा गठित कार्यदलों से संभावित हानि का विस्तृत आंकलन किया जायेगा। जिससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सके। आंकलन के आधार पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर आपदा के प्रभाव को कम करते हुए सामान्य स्थिति की बहाली यथाशीघ्र की जाए। आपदा से हुए नुकसान के साथ साथ उसके कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियां आदि का भी रिकार्ड रखा जाए, जिससे पूर्व अनुभवों का भविष्य में लाभ उठाया जा सके।

4.4.2 प्रभावित लोगो का पुनर्स्थापन :–

आपदा प्रभावित क्षेत्र में कम से कम समय में प्रभावितों के पुनर्स्थापन के प्रयास किए जाएंगे। प्रभावितों द्वारा स्वयं के प्रयास से पुनर्स्थापना की जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार उचित आर्थिक एवं तकनीकि सहायता प्रदान की जाएगी।

आपदा प्रभावित क्षेत्र सुरक्षित/उपयुक्त न होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए भूमि की व्यवस्था की जावेगी। आवंटित भूमि का चयन प्रभावितों की आवश्यकताओं के अनुरूप, उन्हें विश्वास में लेते हुए, किया जाएगा। पुनर्स्थापन में राज्य सरकार तात्कालिक सहायता के अतिरिक्त विद्युत, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगी।

4.4.3 पुनर्निर्माण :–

पुनर्निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सुअवसर में बदल कर बेहतर निर्माण किया जा सके। पुनर्निर्माण सतत् विकास के अनुरूप होना चाहिए। विभागों द्वारा पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित कार्यदल का गठन किया जाए। विभागों द्वारा इस कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च तर पर भी निगरानी रखी जावेगी।

4.4.4 धन का आवंटन एवं ऑडिट :–

विभिन्न माध्यमों से वित्त व्यवस्था किये जाने के बाद, विभिन्न मदों के लिए किए गए धन के आवंटन एवं उनमें हुए व्यय की ऑडिट की जाएगी, जिससे कि धन का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं हो सके।

4.4.5 आजीविका को पुनःबहाल करना :–

आपदाओं से प्रभावितों के लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाऐंगे। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आजीविका के साधन विकसित किए जाऐंगे । इस क्रम में महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा ।

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की सतत् निगरानी भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी।

5 संस्थागत ढ़ांचा :–

आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थागत ढ़ांचा विकसित हुआ है ये सभी संस्थाएं परस्पर समन्वय से आपदा प्रबंधन हेतु कार्य करेंगी। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन का संस्थागत ढाँचा निम्नानुसार है :–

5.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण :–

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन हेतु देश का शीर्ष निकाय है।यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा–निर्देश निर्धारित करने, आपदा के समय पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

5.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समितिः–

केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित ''राष्ट्रीय कार्यकारी समिति'' राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करती है और उसके अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

5.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) :–

आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्धन के लिए ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान'' शीर्ष संस्था है। यह आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों व अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण का कार्य करती है। साथ ही आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित अध्ययन, शोध एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है।

5.4 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) :–

किसी चुनौतीपूर्ण आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। यह आपदा की स्थिति में बुलाए जाने पर राज्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

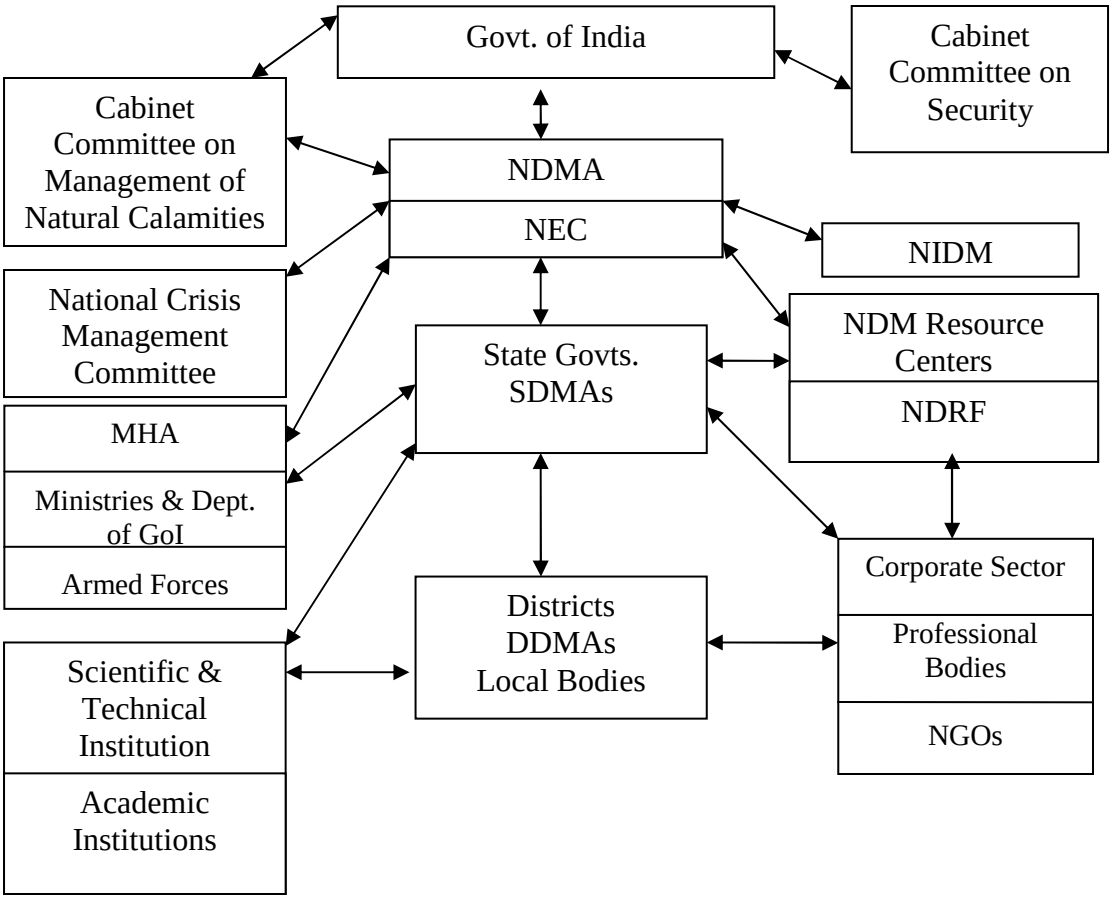

National Disaster Management Organisational Structure

5.5 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) :–

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं निर्धारण हेतु शीर्ष निकाय है। इसके कार्य राज्य आपदा योजना को अनुमोदित करना, राज्य आपदा योजना के क्रियान्वयन का समन्वय करना, निवारण, प्रशमन और तैयारी के उपायों के लिए प्रावधान करना और राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की आपदा सम्बन्धी निगरानी करना है।

5.6 राज्य कार्यकारी समिति (SEC) :–

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्या में सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय व राज्य की नीति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के समन्वय एवं निगरानी का कार्य करेगी।

5.7 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA):–

प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह निकाय जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा निवारण, प्रशमन, तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए जारी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर सभी विभागों एवं अधिकारियों द्वारा पालन किया जाए।

5.8 राज्य आपदा अनुक्रिया बल (SDRF):–

केन्द्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य आपदा अनुक्रिया बल का गठन किया गया है। इस बल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसे आपदा से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बाढ, भूकम्प, ''सी बी आर एन'' जैसी आपदाओं के लिए विशेष दल बनाए जाएँगे। महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल के लिए इसमें महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। शनैः शनैः इसका आवश्यकतानुसार विस्तार किया जावेगा।

5.9 आपदा प्रबंधन केन्द्र :–

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए सभी हितधारको की क्षमता संवर्धन करने के उद्वेश्य से 'एच.सी.एम.रीपा' जयपुर में आपदा प्रबंधन केन्द्र कार्यरत है। जिससे गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र से सहयोग प्राप्त है। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आपदा प्रबंधन के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना, आपदा प्रबंधन हेतु ज्ञान प्रबंधन एवं अनुसंधान के लिए कार्य करती है। धीरे धीरे आपदा प्रबंधन केन्द्र का पृथक से स्वतंत्र अस्तित्व विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'पुलिस ट्रेनिंग स्कूल' किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित है, जो कि क्षमता संवर्धन का कार्य कर रहा है।

5.10 नोडल विभाग :–

राज्य सरकार द्वारा आपदाओं की प्रकृति के आधार पर उनके नोडल विभाग निर्धारित कर दिये हैं। इसमें राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुमोदन से समय समय पर संशोधन किया जावेगा। इन नोडल विभागों का यह कर्त्तव्य है कि वे विभाग से संबंधित आपदा के निवारण,उपशमन एवं तैयारी के लिए आवश्यक योजनाएं बनाऐं। नोडल विभागों की सूचि परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

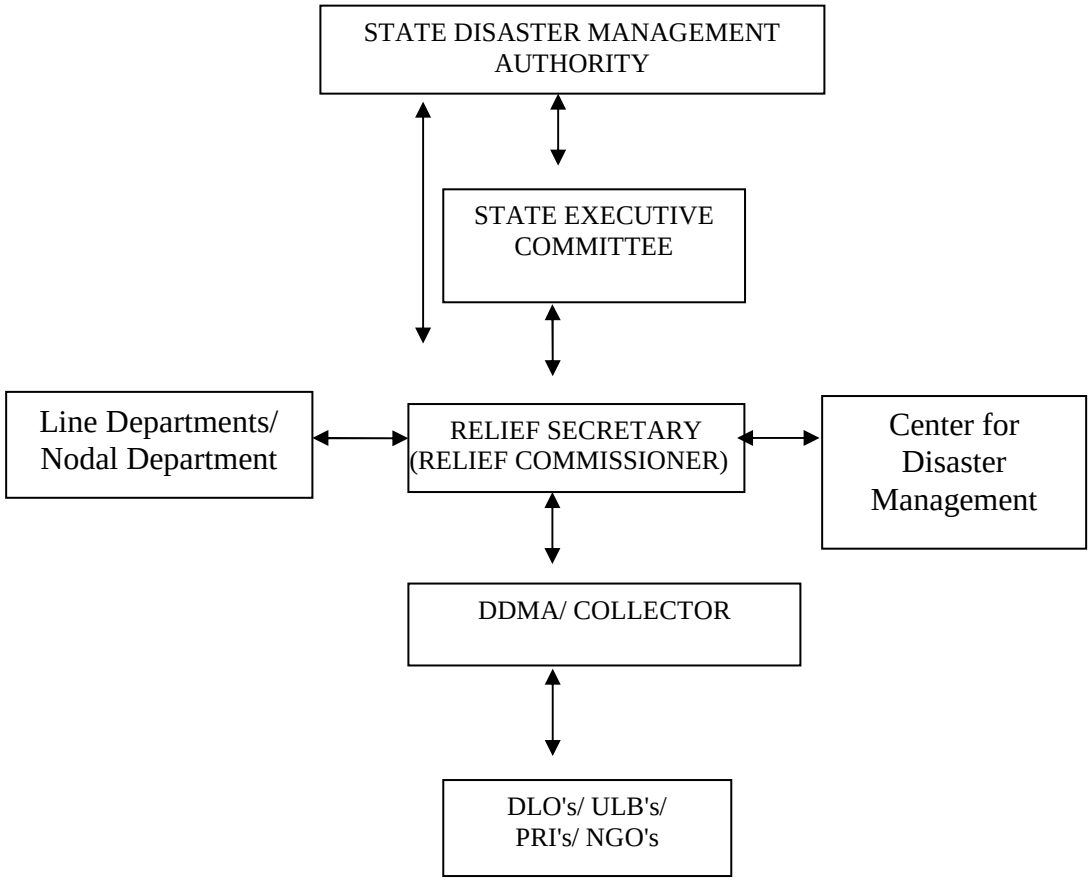

Disaster Management Organisational Structure

6 वित्तीय प्रावधान :–

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से बजट (राशि) उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केन्द्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती रही है :–

6.1 आपदा राहत निधि :–

आपदा राहत निधि के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को, वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के

दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है, जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। केन्द्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हुए हैं। (परिशिष्ट II एवं III)

6.2 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि :–

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। जिस पर एक केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का आंकलन किया जाता है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

6.3 राज्य आपदा मोचन निधि :–

राज्य में 13 वें वित्त आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होगा। इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जाएगा।

6.4 राजस्थान राहत कोष :–

ऐसी प्राकृतिक आपदाऐं, जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना संभव नहीं है/सहायता देय नहीं है, उनमें राहत प्रदान करने/व्यय करने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित किया गया है।इसमें प्रति वर्ष 25 लाख रू का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी। राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

6.5 वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान :

आपदा प्रबंधन के नये दृष्टिकोण (निवारण, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया एवं पुनर्वास) के अनुरूप वित्तीय प्रावधान किए जाने आवश्यक है। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि की ही तरह **राज्य आपदा उपशमन निधि** का सृजन भी किया जाएगा। जिला स्तर पर भी इस तरह की निधियों का गठन करने पर विचार किया जाएगा।

क्षमता संवर्धन के लिए केन्द्र से प्राप्त राशि के उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण, तैयारी, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबंधन हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं में आपदा उपशमन के वित्तीय/तकनीकि प्रावधानों को शामिल करेंगे। सभी विभाग अपने विभाग की आपदा प्रबंधन योजना में भी वित्तीय प्रावधानों को शामिल करेंगे। इसके लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रावधान रखें।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के तहत जोखिम बीमा, माइक्रो फाइनेंस तथा बीमा जैसे वित्तीय साधनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जाएगा।

औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित इकाई की होगी।

जिला कलेक्टर पीडित लोगो को सहायता प्रदान करने के लिए जनता से अंशदान प्राप्त करने का प्रावधान करेंगे।

6.6 धनराशि की उत्पत्तिः–

आपदा के कारण राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास गतिविधियों के लिए विस्तृत वित्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। आपदा की स्थिति में उपशमन एवं तैयारियों के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नोडल एजेन्सी के रूप में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेगा।

7 ज्ञान प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास :–

आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि इसके अन्तर्गत आने वाले सभी तत्वों के संबंध में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव को निरंतर आगे बढाया जाए। आपदा का प्रबंधन अब एक विशेषज्ञ विषय हो गया है। आपदा प्रबंधन के तकनीकी व विज्ञान संबंधी ज्ञान को अद्यतन करना एवं सभी हितधारकों तक इस जानकारी को पहुँचाना आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार/राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से आवश्यक योजना तैयार की जावेगी।

7.1 आपदा प्रबन्धन में पारंपरिक ज्ञान :–

राजस्थान में अकाल, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पारंपरिक व्यवस्था रही है। इसमें बाढ़ में गाँवो में तैराकों की उपलब्धता हो अथवा अकाल के समय अनाज व चारे का संरक्षण हो अथवा जल संरक्षण हेतु बावड़ियों/टांकों का निर्माण हो, लोगों ने अनुभव के आधार पर पारंपरिक तरीके से आपदाओं के प्रभाव को कम करने एवं उससे निपटने के तरीके ईजाद कर रखे थे। सभी विभागों द्वारा इस पारंपरिक ज्ञान एवं अनुभव को वर्तमान तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़ने के गंभीर प्रयास किया जाऐंगे।

7.2 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आई डी आर एन) :–

देश में स्थित आपदा से संबंधित सभी एजेंसियों के संसाधनों की जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।राज्य के सभी जिलों/विभागों को चाहिए कि वे इस वेबसाइट को अद्यतन रखें।

7.3 भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क (आई डी के एन) :–

आपदा प्रबंधन पर ज्ञान के आदान प्रदान हेतु एक मंच होने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तथा विशेषज्ञता से संबंधित क्षेत्रों में आदान प्रदान तथा वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए ''भारत आपदा ज्ञान नेटवर्क'' की स्थापना की जा रही है। यह पोर्टल, आपदा प्रबंधन से जुडी जानकारी के संग्रहण, उसे व्यवस्थित करने के एक साधन के रूप में कार्य करेगा।

7.5 राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क(एस डी आर एन):–

केन्र्द की तर्ज पर राज्य में भी राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क(एस डी आर एन) विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी संसाधनों की जानकारी के साथ इनके सरल तरीके से प्राप्ति, उपयोग आदि को सुनिश्चित किया जावेगा। साथ ही इसे निरन्तर अद्यतन किया जाएगा।

7.6 सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा अनुसंधान का प्रलेखन :–

किसी भी आपदा के तत्काल बाद एक संस्थागत उपाय के रूप में विशेषज्ञों की सहायता से उस क्षेत्र का अध्ययन करवाया जाएगा। इस अध्ययन में मौजूदा निवारक तथा प्रशमन उपायों पर गौर के साथ तैयारी और कार्यवाही करने की स्थिति का आंकलन किया जाएगा। इस अध्ययन से प्राप्त अनुभवों को संकलित किया जाएगा तथा इनका प्रलेखन किया जाएगा। इनका उपयोग आपदा प्रबंधन योजनाओं को अद्यतन करते समय सार्थक सुधार के लिए किया जाएगा।

राज्य में आपदा प्रबंधन के संबंध में निरंतर शोध एवं अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। राज्य के सभी उच्च शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों में आपदा प्रबंधन से जुडी गतिविधियों/क्षेत्रों में शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे इन शोधों से प्राप्त परिणामों के आधार पर राज्य में आपदा प्रबंधन की कार्य योजनाओं में सार्थक परिवर्तन किया जा सके

8 विवाद समाधान प्रकियाः–

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, आपदा के कार्यक्षेत्र के लिए कार्यकारी संस्था नहीं है। अतः आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के पश्चात् जिला कलेक्टर्स, नोडल विभाग/संस्थाओं के द्वारा राहत कार्य कराऐ जाते हैं। विवादों का निपटारा तत्कालीन कानून/नियम/मार्गदर्शिका/परिपत्र के अनुसार होगा।

परिशिष्ट–I

नोडल विभागों की सूची

क्र. सं.	नोडल विभाग	संबंधित आपदा
1.	आपदा प्रबंधन एवं सहायता	सूखा, ओलावृष्टि, पाला एवं शीतलहर, तूफान, आकाशीय बिजली, चक्रवात
2.	ऊर्जा	विद्युत उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण संबंधी आपदा
3.	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बलवा, कानून–व्यवस्था संकट स्थिति, आणविक, रासायनिक एवं जैविक, हवाई, सड़क, रेल दुर्घटना, भगदड़
4.	जल संसाधन	बाढ़ एवं जलनिकासी,बांध टूटना, बादल फटना
5.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना
6.	खान	खान में आग एवं पानी भरना
7.	उद्योग	रासायनिक एवं औद्योगिक आपदा, तैल फलना
8.	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9.	राजस्व	गांव की आग एवं नाव पलटना
10.	वन	वनों में आग
11.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	जैविक एवं महामारी, खराब खाने से बीमारी
12.	कृषि	टिड्डी दल का हमला
13.	पशु पालन	पशु महामारी

परिशिष्ट– II

राज्य आपदा मोचन निधि के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाऐं:

1. चक्रवात
2. सूखा
3. भूकम्प
4. अग्नि
5. बाढ़
6. ओलावृष्टि
7. सूनामी
8. भू–स्खलन
9. हिम–स्खलन
10. बादल फटना
11. कीट आक्रमण
12. पाला एवं शीतलहर

No. 32-3/2013-NDM-1
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II,
Jai Singh Road, New Delhi-110001,
Dated the 28th, November, 2013

To,

1. Chief Secretaries of all States
2. The Relief Commissioners/Secretaries, Department of Disaster Management of all States.

Subject :- Items and Norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) for the period 2010-2015

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Minsiter's letter No. 32-3/2012-NDM-I, dated 21st November, 2013 regarding forwarding the list of revised items and norms from assistance from SDRF/NDRF in the wake of identified natural disasters.

2. It has now been decided to further revise the norms in respect of S. No. 9 (a) i.e. fully damaged kutcha houses (b) i.e. severely damaged pucca/kutcha houses (c) i.e. partially damaged pucca/kutcha houses (d) i.e. damaged/destroyed huts and (e) i.e. cattle sheds attached with the houses. Similarly, the norms are revised in respect of fully damaged pucca houses in hilly areas or in the Integrated Action plan (IAP) districts.

3. These revised norms, as cited above, will be prospective effective from 24th October, 2013. The revised items and norms can also be downloaded from website of Disaster Management Division of Ministry of Home Affairs i.e. www. ndmindia.nic.in.

4. Accordingly, a copy of further modified/revised items and norms of assistance from SDRF/NDRF in the wake of identified natural disasters is Annexed.

5. This supersedes this Ministry' earlier letters on this subject, the last being No. 32-3/2013-NDM-1 dated the 21st June, 2013.

Yours faithfully,

(**Goutam Ghosh)**
Deputy Secretary to the Govt. of India
Telefax : 23438123

Copy for information and necessary follow up action to :-

1. Accountants General of all State Governments.
2. Comptroller & Auditor General (CAG), New Delhi.
3. Controller General of Accounts (CGA), New Delhi.
4. Resident Commissioners of all State Governments.

Copy to :-

1. Secretary, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdurjung Enclave, New Delhi.
2. Ministry of Finance, Department of Expenditure [Shri Rajeev Kumar, JS (PF-I)], North Block, New Delhi.
3. Ministry of Agriculture [Joint Secretary (DM)], Krishi Bhawan, New Delhi.
4. Planning Commission [Joint Secretary (SP)], Yojna Bhawan, New Delhi.
5. All concerned Central Ministries/Departments/Organizations.
6. PMO/Cabinet Secretariat.
7. PS to HM/PS to MOS (R).
8. Sr. PPS to Home Secretary/Secretary (BM)/Joint Secretary (DM)/NIC.

परिशिष्ट– **III**

REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER RESPONSE FUND (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)

(Period 2010-15, MHA Letter No. 32-7/2011-NDM-1 Dated 16th January, 2012, modified vide letter No. 32-3/2012-NDM-I, dated 28th September, 2012, modified vide letter No. 32-3/2013-NDM-I, dated 21st June 2013, 28th November, 2013).

S.NO.	ITEM	NORMS OF ASSISTANCE
1	2	3
1.	**GRATUITOUS RELIEF**	
	(a) Ex-Gradia payment to families of deceased persons.	**Rs. 1.50** lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority. - In the case of an Indian citizen who loses his life due to a notified natural calamity in a foreign country, his family would not be paid this relief. - In the case of a foreign citizen who loses his life due to a notified natural calamity within the territory of India, his family would also not be paid this relief.
	(b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye (s).	**Rs. 43,500/-** per person, when the disability is between 40% and 80% **Rs. 62,000/-** per person, when the disability is more than 80% Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.
	(c) Grievous injury requiring hospitalization.	**Rs. 9,300/-** per person requiring hospitalization for more than a week. **Rs. 3,100/-** per person requiring hospitalization for less than a week.
	(d) Clothing and utensils/house-hold goods for families whose houses have been washed away/fully damaged/severely inundated for more than a week due to a natural calamity.	**Rs. 1,300/-** per family, for loss of clothing. **Rs. 1,400/-** per family, for loss of utensils/household goods.
	(e) Gratuitous relief for families in	**Rs. 40/-** per adult and **Rs. 30**/- per child, not

	dire need of immediate sustenance after a calamity. GR to be provided to those who have no food reserves, or whose food reserves have been wiped out in a calamity, and who have no other immediate means of support.	housed in relief camps. State Govt. will certify that (i) these persons have no food reserve, or their food reserves have been wiped out in the calamity, and (ii) identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries districts-wise. Period for providing gratuitious relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/pest attack.
2.	**SEARCH & RESCUE OPERATIONS**	
	(a) Cost of search and rescue measures/evacuation of people affected/likely to the affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.
	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF. The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
3.	**RELIEF MEASURES**	
	(a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, tetc. for people affected/evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of

		a calamity like drought, or widespread devastation caused by earthquake of flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in cases of severe drought. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM).
	(b) Air dropping of essential supplies.	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	(c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas.	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought.
4.	**CLEARANCE OF AFFECTED AREAS**	
	(a) Clearance of debris in public areas.	
	(b) Draining off flood water in affected areas.	
	(c) Disposal of dead bodies/ Carcases	
5.	**AGRICULTURE**	
(i)	**Assistance to small and marginal farmers.**	
A.	**Assistance for land and other loss**	
	(a) De-silting of agricultural land (where thicknes of sand/silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government.	**Rs. 81,00/-** per hectare for each item.
	(b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	(Subject to the condition that no other assistance/subsidy has been availed of by/is eligible to the beneficiary-under any other Government Scheme).
	(c) De-silting/Restoration/Repair of fish farms	

	(d) Loss of substantial portion of land caused by landstide, avalanche, change of course of rivers.	**Rs. 25,000/-** per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
B.	**Input subsidy (where crop loss is 50% and above.**	
	(a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	**Rs. 4,500/-** per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs. 9,000/-** per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs. 750 and restricted to sown areas.
	(b) Perennial crops	**Rs. 12,000/-** ha. for all types of perennial crops subject to minimum assistance not less than Rs. 1500/- and restricted to sown areas.
	(c) Secriculture	**Rs. 3,200/-** per ha. for Eri, Mulberry, Tussar **Rs. 4,000/-** per ha. for Muga.
(ii)	Inpur subsidy to farmers other than small and marginal farmers	**Rs. 4,500/-** per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. **Rs. 9,000/-** per hectare for areas under assored irrigation and restricted to sown areas. **Rs. 12,000/-** per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas. - Assistance may be provided where crop loss is 50% and above, subject to a ceiling of 1 ha. per farmer and upto 2 ha. per farmer in case of successive calamities irrespective of the size of holding being large.
6.	**ANIMAL, HUSBANDRY-ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS**	
	(i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage.	***Milch animals-*** **Rs. 16,400/-** Buffalo/cow/camel/yak etc. **Rs. 1650/-** Sheep/Goat ***Draught animals-*** **Rs. 15000/-** Camel/horse/bultock, etc. **Rs. 10,000**/- Calf/Donkey/Pony/Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive

		animals and will be subject to a ceiling of 1 large milch animal or 2 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government). ***Poultry:-*** Poultry @ 37/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs. 400/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. ***Note :-*** Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influence or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	(ii) Provision of fodder/feed concentrate including water supply and medicines in cattle camps.	Large animals- **Rs. 50/-** per day. Small animals- **Rs. 25/-** per day. Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days. which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe droght up to 90 days. Based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	(iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps.	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.

7.	**FISHERY**	
	(i) Assistance to Fisherman for repair/replacement of boats, nets-damaged or lost - Boat - Dugout-Canoe - Catamaran - net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	**Rs. 3,000**/- for repair of partially damaged boats only. **Rs. 1,500/-** for repair of partially damaged net. **Rs. 7,000/-** for replacement of fully damaged boats **Rs. 1,850/-** for replacement of fully damaged net.
	(ii) Input subsidy for fish seed farm.	**Rs. 6,000/-** per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture.)
8.	Handicrafts/Handloom-Assistance to Artisans	
	(i) For replacement of damaged tools/equipment	**Rs. 3,000** per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and it replacement.
	(ii) For loss of raw material/goods in process/finished goods	**Rs. 3,000/-** per artisan for raw material. - Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
9.	**HOUSING**	
	(a) Fully damaged/destroyed houses	
	(i) Pucca house	**Rs. 7,000/-** per house, in plain areas. **Rs. 75,000/-** per house, in hilly areas including Integrated Action Plan (IAP) districts
	(ii) Kutcha House	**Rs. 17,600/-** per house
	(b) Severcly damaged houses	

	(i) Pucca House	**Rs. 12,600/- per house**
	(ii) Kutcha House	**Rs. 3,800/- per house**
	(c) Partially Damaged Houses	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is at least 15%	**Rs. 3,800/-**
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is at least 15%	**Rs. 2,300/-** per hut,
	(d) Damaged/destroyed huts :	**Rs. 3,000**/- per hut, *(Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/District authorities.)* **Note :-** The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government.
	(e) Cattle shed attached with house	**Rs. 1,500/-** per shed.
10.	**INFRASTRUCTURE**	
	Repair/restoration (of immediate nature of damaged infrastructure: *(i) Roads & bridges (2) Drinking Water Supply Works, (3) Irrigation, (4) Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the offected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centres, (7) Community assets award by Panchayat.* Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/restoration works from their own funds/resources, are excluded.	***Activities of immediate nature :*** Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed **Appendix.** ***Assessment of requirements :*** Based on assessment of need, as per State' costs/rates/schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF). - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand danes, etc. to restore traffic. For reference these norms are : - - Normal and Urban areas upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR). - - Hills : upto 20% of total of OR and PR.

		Note :- States shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair.
11.	**PROCUREMENT**	
	Procurement of essential, rescue and evacuation equipments including communication equipment etc. for response to disaster.	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

(i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.

(ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe, lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).

(iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake-structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

(i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.

(ii) Repair of breached culverts.

(iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.

(iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges., repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

(i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of lanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.

(ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/embankments.

(iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/community Health centres.

5. Community assets of Panchayat

(1) Repair of village internal roads.

(2) Removal of debris from drainage/sewerage lines.

(3) Repair of internal water supply lines.

(4) Repairs of street lights.

(5) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, anganwadi, etc.

परिशिष्ट– **IV**

राजस्थान राहत कोष

अकाल, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्नि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन–धन की क्षति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा कोष (National Calamity Fund) से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं तथा गैर प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिनसे होने वाली जन–धन की क्षति के लिए सहायता प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं से जनता को सहायता प्रदान कर राहत देने के लिये वर्ष 2005–06 के राज्य के बजट से राजस्थान राहत कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राहत कोष के लिये निम्नानुसार व्यवस्थाओं सम्बन्धी प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं :–

शीर्षक–

राज्य स्तर पर स्थापित किये जाने वाले इस कोष को राजस्थान राहत कोष कहा जायेगा।

अवधि–

यह कोष वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ किया जायेगा तथा वर्ष 2009–2010 तक प्रचलित रहेगा। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा पुनः समीक्षा कर आगे के लिये निर्णय लिया जायेगा।

''राजस्थान राहत कोष'' का गठन एवं संचालन–

1. इस कोष के लिये राज्य सरकार, राज्य बजट के माध्यम से आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार से प्राप्त राशि बिना ब्याज के निजी निोप खाते में रखी जायेगी।

2. किसी दानदाता या संस्था द्वारा इस कोष में उपलब्ध करायी गई सहायता राशि को भी इसी कोष के निजी निक्षेप खाते में जमा की जायेगी।
3. मुख्य मन्त्री सहायता कोष की भाँति इस कोष में दी गयी राशि को भी आयकर से छूट प्राप्त करने हेतु आपदा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी अधिसूचना जारी की जायेगी।
4. इस कोष का नियन्त्रण एवं संचालन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।
5. इस कोष के संचालन के लिये राज्य स्तरीय समिति (जिसका गठन आगे उल्लेखित किया गया है) समय–समय पर निर्णय लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगी।

राज्य स्तरीय समिति :–

राज्य स्तर पर ''राजस्थान राहत कोष'' के संचालन हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नानुार गठित की जायेगी :–

मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य
प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग	–	सदस्य
शासन सचिव, खान विभाग	–	सदस्य
शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	–	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति के क्रियाकलाप :–

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं में सहायता के मापदण्डों का निर्धारण करना।
2. मनुष्यों, पशुओं एवं फसलां की महामारी की स्थिति का निर्णय करना।
3. ''राजस्थान राहत कोष'' से होने वाले व्यय के वित्त पोषण सम्बन्धी सभी मामलों पर निर्णय लेना।
4. ''राजस्थान राहत कोष'' के नियन्त्रण एवं संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्णय करना।
5. ''राजस्थान राहत कोष'' से जिस प्रयोजन हेतु राशि उपलब्ध कराई जावे उन प्रयोजनों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही राशि का उपयोग सुनियिचत करना।
6. राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार विशेष प्रयोजन हेतु उप समिति का भी गठन किया जा सकेगा एवं उस उप समिति का उपरोक्त वर्णित क्रियाकलापों में से किन्हीं क्रियाकलापों के लिये अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया जा सकेगा।
7. अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो ''राजस्थान राहत कोष'' की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हों।

''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाऐं :–

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढ़हने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य,
3. बहुमंजिले भवनों के ढ़हने, कुए के ढ़हने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य,

4. मिट्टी एवं चट्टान ढ़ह जाने तथा कुए में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव के कार्य।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदाऐं जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हों, निर्णित की जावे।

मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों की महामारी निर्धारण के लिये, जब कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :–

(1) मनुष्यों में महामारी–विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय में किसी विशेष प्रकार की बीमारी का होना या पाया जाना, जो सामान्य अनुमानों अथवा पूर्व के अनुभवों तथा सामान्य स्त्रोतों से निकाले गये मापदण्डों से अत्यधिक हों।

(2) पशुओं में महामारी– किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रस्तावित करने वाली बीमारी, जिसके त्वरित गति से विस्तार होने की सम्भावना हो एवं जो सामान्य अनुमानों एवं पूर्व अनुभवों के मापदण्डो से अत्यधिक हों।

(3) फसलों में महामारी– विशेष भौगोलिक क्षेत्र की फसलों अथवा किसी विशेष फसल के विस्तृत क्षेत्र में, लगी बीमारी, जिसके कारण सामान्य अनुभवों एवं पूर्व के अनुमानों से अत्यधिक मात्रा में, क्षति आंकलित की गयी हो।

महामारी के निर्धारण के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसे अधिसूचित करने पर ही इस कोष की सहायता दिया जाना अनुमत होगा।

विभिन्न आपदाओं के लिये नोडल विभाग–

1. मनुष्यों की महामारी – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
2. पशुओं की महामारी – पशुपालन विभाग
3. फसलों की महामारी – कृषि विभाग

4. खान में बाढ़ का पानी आना एवं ढ़हना–खान विभाग
5. विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्य–आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
   (1) उपरोक्तानुसार आपदाओं के नोडल विभाग के अतिरिक्त, समग्र रूप से नियन्त्रक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग रहेगा।
   (2) प्रत्येक नोडल विभाग, उनसे सम्बन्धित आपदाओं के प्रबन्धन के लिये ऐसी योजना बनायेगा, जिसमें आपदा से पूर्व ही रोकथाम के उपाय तथा आपदा के दौरान नियन्त्रण एवं राहत प्रदान करने के उपायों को उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त, आपदा की स्थिति के समाधान के लिये भी योजना बनायेगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी आपदा की सम्भावना कम से कम उत्पन्न हो।
   (3) उपरोक्तानुसार बनायी गय योजनाओं को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा समय–समय पर अपडेट करने की कार्यवाही भी सम्बन्धित नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
   (4) राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, आपदाओं के नोडल विभागों को दिशा निर्देश भी जारी करेगा, जिसका क्रियान्वयन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

आपदाओं में सहायता दिये जाने के मापदण्ड :–

1. राजस्थान राहत कोष के अन्तर्गत शामिल होने वाली विभिन्न आपदाओं के लिये सहायता प्रदान करने के मापदण्ड समय–समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे तथा उन्हीं मापदण्डों के आधार पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

2. यदि इस कोष के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के लिये किसी अन्य विभाग/किसी अन्य योजना/किसी अन्य संस्था या बीमा कम्पनी/मुख्य मन्त्री राहत कोष इत्यादि से सहायता प्रदान करने का प्रावधान हो तो उस आपदा के लिये ''राजस्थान राहत कोष'' से सहायता देय नहीं होगी।
3. ''राजस्थान राहत कोष'' से दी जाने वाली सहायता स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों से प्राप्त सहायता के पूरक के रूप में ही उपलब्ध करायी जायेगी।
4. खान, भवन, कुए आदि के ढ़हने की आपदा में खोज एवं बचाव कार्य पर किये गये व्यय का पुनर्भरण, उस सम्पत्ति के स्वामी से भी प्राप्त करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाना अपेक्षित होगा।
5. जब तक राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता के मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जावें, तब तक की अवधि के लिये निम्न आपदाओं में निम्नानुसार सहायता राशि राजस्थान राहत कोष से प्रदान की जा सकेगी :–
   (1) कुए ढ़हने पर खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्ति को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
   (2) मिट्टी एवं चट्टान ढ़ह जाने से होने वाली आपदा से खोज एवं बचाव कार्य के अन्तर्गत जीवित/मृत व्यक्तियों को बाहर निकालने में होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 25,000 रूपये की राशि।
   (3) कुए में जहरीली गैस निकलने से मृत्यु होने की आपदा पर मृतकों को बाहर निकालने पर होने वाले व्यय के लिये अधिकतम 10,000 रूपये की राशि।

राजस्थान राहत कोष से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–

1. सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा जिलों में ''राजस्थान राहत कोष'' के अन्तर्गत शामिल होने वाली आपदाओं के उत्पन्न होने की सूचना एवं उस आपदा से होने वाले नुकसान की सूचना तथा इस कोष से प्रदान की जाने वाली राहत के प्रस्ताव, सम्बन्धित नोडल विभाग को एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रेषित किये जावेंगे।
2. जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सम्बन्धित नोडल विभाग की अभिशंषा के साथ राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाकर जिला कलक्टर को, सम्बन्धित नोडल विभाग को सूचित करते हुए, उपलब्ध कराई जायेगी।
3. महामारी की आपदाओं में, उस पर नियन्त्रण करने एवं पीड़ितों को सहायता पहुँचाने के लिये जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों पर नोडल विभाग की टिप्पणी ली जावेगी एवं राज्य स्तर से एक विशेषज्ञों का दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन कर, अभिशंषा करने हेतु भेजा जायेगा। उक्त विशेषज्ञों के दल के सदस्यों का निर्धारण मुख्य सचिव के द्वारा किया जायेगा, जिसे आगामी राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
4. विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट एवं अभिशंषा को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय कराया जायेगा एवं तदनुसार ही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राजस्थान राहत कोष से उक्त आपदा के लिये सहायता राशि स्वीकृत कर सम्बन्धित जिला कलक्टर्स को उपलब्ध करायी जावेगी तथा सम्बन्धित नोडल विभाग को सूचित किया जायेगा।

Summary of Recommendations of Thirteenth Finance Commission

i) The CRF to be merged into the SDRFs of the respective states and the NCCF into the NDRF. Contribution to the SDRFs to be shared between the Centre and states in the ratio of 75:25 for general category states and 90:10 for special category states.

ii) Balances as on 31 March 2010 under NCCF and the state CRFs to be transferred to the NDRF and respective SDRFs.

iii) Budgetary provisions for the NDRF to be linked to expenditure of the previous year from the fund. With cesses being subsumed on introduction of the GST, alternative sources of financing to be identified .

iv) Total size of the SDRF has been worked out as Rs. 33,581 crore to be shared in ratio given above.

v) An additional grant of Rs. 525 crore provided for capacity building.

vi) Assistance of Rs. 250 crore to National Disaster Response Force to maintain an

inventory of items required for immediate relief.

vii) Provisions relating to the DDRF in the DM Act may be reviewed and setting up of these funds left to the discretion of the states .

viii) Mitigation and reconstruction activities to be kept out of the schemes funded through FC grants and be met out of overall development plan funds of the Centre and the states.

ix) The list of disasters to be covered under the scheme financed through FC grants to remain as it exists currently. However, manmade disasters of high-intensity may be considered for NDRF funding once norms have been stipulated and requisite additional allocations made to the NDRF.

x) The administrative mechanism for disaster relief to be as prescribed under the DM Act, i.e., the NDMA/NEC at the Centre and the SDMA/SEC at the state level. Financial matters to be dealt with by the Ministry of Finance as per the existing practice.

xi) Prescribed accounting norms to be adhered to for the continuance of central assistance to the SDRFs.

xii) SDRF 2010-2015 GoI & GoR share is as follows :-

(Rs. in crore)

Year	Central Share	State Share	Total
2010-11	450.50	150.16	600.66
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10